उ० प्र० पावर कार्पोरेशन लि०
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

सं० 1241-औस-17/पाकालि/2001-11(4)एफ/86(टी.सी.)   दि० 20 अप्रैल 2001

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती परिषद ने अपने कार्यालय ज्ञाप सं० 4102-औस-17/राविप/98-11(4)एफ/86 दिनांक 11 जून 1998 सपठित कार्यालय ज्ञाप सं० 2340-औस-17/पाकालि/2000-11(11)एफ/86 दिनांक 11 अगस्त 2000 द्वारा स्वेच्छा से राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में हृदय की बाईपास सर्जरी, पेसमेकर लगवाना, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय या मस्तिष्क की वृहद शल्य क्रिया, कैंसर पर हुए व्यय का 75% प्रतिपूर्ति उक्त कार्यालय ज्ञापों में इंगित शर्तों के प्रतिबन्धाधीन अनुमन्य की थी।

2. उपर्युक्त आदेशों के अनुक्रम में सम्यक विचारोपरान्त पावर कारपोरेशन ने यह निर्णय लिया है कि यदि प्रदेश के बाहर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में चिकित्सा करायी जाती है तो उन बीमारियों की चिकित्सा हेतु भी, जिनके लिए उन चिकित्सालयों को अधिकृत नहीं किया गया है, चिकित्सा व्यय की 75% प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

3. साथ ही, प्रदेश से बाहर स्वेच्छा से गैर मान्यता प्राप्त चैकित्सिक संस्थान में चिकित्सा कराए जाने पर, प्रश्नगत चिकित्सा पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली/संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में उक्त चिकित्सा कराने पर जो व्यय आता उसके समतुल्य अथवा वास्तविक चैकित्सिक व्यय का 70% (सत्तर प्रतिशत) धनराशि जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

4. आदेश सं० 4102-औस-17/राविप/98-11(4)एफ/86 दिनांक 11 जून 1998 के अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

5. यह आदेश दिनांक 17.2.2001 से प्रभावी होगा।

निदेशक (का. प्र. एवं प्रशासन)

सं० 1241-1-औस-17/पाकालि/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यककार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा० ऊर्जा मंत्री/मा० ऊर्जा राज्य मंत्री, उ०प्र०शासन के निजी सचिव को।
2. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र०पावर कार्पोरेशन लि०,
3. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र०पावर कार्पोरेशन लि०
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०पावर कार्पोरेशन लि०
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र०पावर कार्पोरेशन लि०
6. अनुसचिव, वित्त एवं कार्मिक नीति, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ०प्र०रा०उ०नि०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
8. कारपोरेशन मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी/निजीसचिव/प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध।

आज्ञा से,

(रवि प्रकाश मिश्र)
कार्मिक अधिकारी